आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजकीय मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15(4)2023/गो.प्र./प्रमुवसं–08069/ दिनांक :

–:: कार्यालय–आदेश ::–

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति (defer) की बैठक दिनांक 05.10.2023 की अनुशंषा के आधार पर निम्न लोकसेवक को वर्ष 2023–24 की रिक्तियों के विरूद्ध निजी सहायक ग्रेड–I से अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के पे–मैट्रिक्स के पे–लेवल एल–12 (ग्रेड पे–4800) में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम लोकसेवक (सर्व श्री)	पिता का नाम (सर्व श्री)	वर्ग	रिक्ति तिथि
1	नरेन्द्र कुमार बंसल	सम्पत्तराम	–	1.4.2023

उपरोक्त कार्यरत लोकसेवक को अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर पदोन्नति दिनांक से वेतन का काल्पनिक लाभ तथा नवीन पद पर कार्यग्रहण संभालने की दिनांक से वेतन का नगद लाभ देय होगा। पदोन्नत कार्मिक अपनी उपस्थिति वर्तमान पदस्थापन स्थान पर प्रस्तुत कर यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्य–ग्रहण की रिपोर्ट अपने नियंत्रय अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय प्रस्तुत करेंगे। इनका पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जावेगा।

कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क–2/95/पार्ट जयपुर, दिनांक 16.03.2023 के अनुसार यदि किसी कार्मिक के 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हो, और उसकी पदोन्नति वर्ष 2020–21 में या उसके पश्चात् देय हो जाती है, की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसकी उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, विचार किया जायेगा और उसका वेतन पदोन्नति संबंधी पद के लिए नियत किया जायेगा किन्तु वह तीन पश्चात्वर्ती वर्षो के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु, काल्पनिक रूप से हकदार होगा/होगी और ऐसे तीन वर्षो के पश्चात् उसे ऐसी वेतनवृद्वियों के वास्तविक फायदे अनुज्ञेय होंगे, तथापि, ऐसी काल्पनिक वेतनवृद्वियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

अतः संबंधित कार्यालयाध्यक्ष कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत लोकसेवक का उत्पन्न संतानों के संबंध में शपथ–पत्र प्राप्त करे एवं इनका वेतन निर्धारण उक्त अधिसूचना में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

ह०

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ. 15(4)2023/गो.प्र./प्रमुवसं–08069/ 8562-8565/सी दिनांक : 05-10-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर।
2. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी को विभागीय बेबसाइट पर प्रकाशन करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली/कार्मिक स्ट्रेन्थ कार्यालय हाजा।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर

Tilok bhati D/Pa to aps defer dpc 23-24